

एड्स पीड़ित भी मनरेगा में पा सकते हैं रोजगार

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मनरेगा में कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए खासतौर से ध्यान दिया गया है। इसके तहत एचआईवी संक्रमित या एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इनके लिए विशेष योजना व अलग-अलग कार्यनीति तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

एचआईवी पीड़ितों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार हल्का और आसान कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। राज्य में मनरेगा के तहत पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित आदेश ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी डीएम और डीडीसी को जारी किया है।

खास प्रावधान

- जिला स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के सहयोग से ऐसे लोगों को चिन्हित कर पंचायतवार सूची तैयार किया जाएगा। ● इन लोगों से आवेदन लेकर इनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा। ● सभी मनरेगा कर्मी अपने क्षेत्र में राज्य स्वास्थ्य समिति, आशा कार्यकर्ता आदि के माध्यम से इस बीमारी के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। ● विशेष प्रयास करके इनके काम के मांग को पंचायत रोजगार सेवक या मेट दर्ज करेंगे। ● संक्रमित लोगों से संपर्क कर उन्हें मनरेगा नियम और काम प्राप्त करने के तरीके की जानकारी देंगे। ● अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, तो उनसे अनिच्छा आवेदन भरवाया जाएगा।